

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री सुखा

विपक्षी : नवला

किस्म मुकदमा - 88, 188 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 207 / 13

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी
तथा सूचनाएं
जारी की गईं

दिनांक : 26.11.19

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई, अनुपस्थित है। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 6 उपस्थित। वादी फौत होने से दिनांक 04.09.18 को आदेश देने के बाद आज तक वारिस कायमी नहीं कराई गई है, जिसे लगभग 90 दिवस से अधिक समय हो जाने से दावा स्वयं ही अबेट हो चुका है। आज भी अधिवक्ता अनुपस्थित है। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर अबेट किया जाता है। वाद अबेट होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: श्री अक्षय गोदारा, I.A.S.
मुकदमा नम्बर : 207/13 (वाद)

उनवान

1. श्री सुखा पिता तारु गुर्जर निवासी वारणी तह.मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री नवला पिता तारु गुर्जर निवासी वारणी तह. मावली।
2. श्री रूपा पिता तारु गुर्जर निवासी वारणी तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. उप पंजीयक अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का थामला तह.मावली।

.....प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या : 207 / 2013**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा, I.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राज.का.अधिनियम का वादी फौत होने से वादी का वाद अबेट हो जाने से वादी का वाद खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.11.2019 को जारी की गई।

(अक्षय गोदारा, IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

